लुधियाना विस्फोट मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

वांछित आतंकवादी एवं लुधियाना अदालत बम विस्फोट के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हरप्रीत सिंह को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) के एक अधिकारी ने दी। एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के अमृतसर रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ 'हैप्पी मलेशिया' को कुआलालंपुर से हवाईअड्डे पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। हरप्रीत को पिछले साल दिसंबर में लुधियाना के अदालत की इमारत में बम विस्फोट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बने अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य नियुक्त किया। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

कैप्टन अमरिंदर सिंह

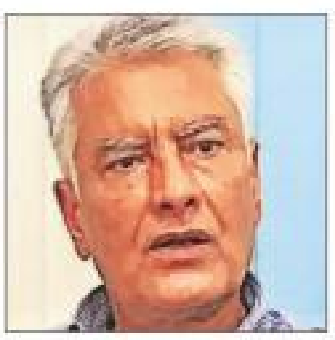
सुनील जाखड़

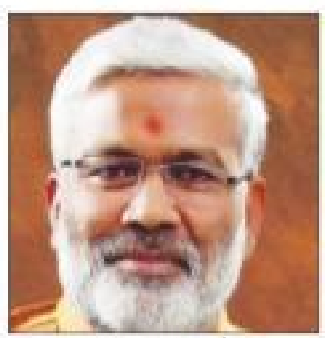
स्वतंत्र देव सिंह

जयवीर शेरगिल

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जयवीर शेरगिल को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष रहे मदन कौशिक, पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन कालिया को राष्ट्रीय कार्यसमिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पंजाब के ही राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और अमनजोत कौर रामूवालिया को भी राष्ट्रीय कार्यसमिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इन संगठनात्मक नियुक्तियों में पंजाब पर खासा जोर दिया गया है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी साल सितंबर महीने में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का भाजपा में विलय भी कर दिया था। भाजपा ने पीएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा का पिछला चुनाव लड़ा था।

विमान में तकनीकी खराबी, यात्रा टली

चेन्नई, 2 दिसंबर (भाषा)।

चेन्नई से 139 यात्रियों को लेकर दोहा जा रहे एक निजी विमान में शुक्रवार तड़के उड़ान भरने की तैयारी के दौरान तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान रनवे से वापस लौट गया। हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि विमान हवाईपट्टी पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी गड़बड़ी का पता चला और पायलटों ने रनवे से वापस लौटने की अनुमति मांगी।

विदेशी महिला के साथ बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषी

तिरुवनंतपुरम, 2 दिसंबर (भाषा)।

तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक लिथुआनिया की महिला पर्यटक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय ने बलात्कार और हत्या समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों उमेश और उदयन को दोषी ठहराया।

यह महिला (33) केरल में कोवलम से 14 मार्च, 2018 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। अदालत आरोपियों को पांच दिसंबर को सजा सुनाएगी।

अभियोजक (सरकारी वकील) ने बताया, '38 दिन बाद सड़ी-गली हालत में (उसका) शव मिला था जिसके कारण हम ढेर सारा जैविक साक्ष्य गंवा बैठे लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला तैयार करने में कामयाब रही और अभियोजन पक्ष ने उसे अदालत में सफलतापूर्वक साबित कर दिया।'

पास के तिरुवल्लम में एक 'मैंग्रोव' वन से 21 अप्रैल, 2018 को सड़ी गली हालत में एक महिला का शव मिला था जिसमें सिर नहीं था। उसके बाद आरोपियों उमेश और उदयन को तीन मई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक पी प्रकाश ने कहा कि उन्हें फैसला के बारे में सुन कर खुशी हुई है। जब यह वारदात हुई थी तब वे शहर के पुलिस आयुक्त थे। प्रकाश ने कहा, 'हमें बस इस बात की खुशी है कि हम गुनाहगारों को सजा दिला पाए।'

POONAWALLA HOUSING FINANCE

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क,
सीटि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट-IV (नियम 8(1) देखें)
अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के उपरोक्त निगमित/पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें निम्न ऋणकताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 की उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 01 दिसंबर 2022 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। अधिग्रहण में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैंः

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण किये जाने की तिथि	सवैधानिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	कुणाल कपूर, आशा कपूर	फ्लैट सं. सी-103 वाली बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका क्षेत्र माप 40 वर्ग गज है, जो 1 बीएचके प्रथम तल, आगे की ओर से युक्त है, संपत्ति सं. ए-1/3, खसरा सं. 488/1 में से, ग्राम मोलारबंद बदरपुर, तहसील कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व- गौरव वर्मा की संपत्ति, पश्चिम- सड़क, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- सड़क	01.12.2022	09.09.2022	ऋण स. HF/0399/H/19/100565 रु. 13,04,043.25/- (रुपये तेरह लाख चार हजार तैंतालिस एवं पच्चीस पैसे मात्र) जो 09.09.2022 के अनुसार, वसूली होने तक 10% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 03-12-2022

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

रेलवे का उप मुख्य अभियंता गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने लखनऊ में तैनात उत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता को लंबित बिल का निपटारा करने के एवज में एक ठेकेदार से 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता (विनिर्माण) अरुण कुमार मित्तल ने ठेकेदार से उसकी कंपनी के लंबित बिल पास करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत की मांग की।

दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक वाली याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है। रविवार को मतदान होना है। ऐसे में वे इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होना है। जबकि सात दिसंबर को मतगणना होगी।

याचिका नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई थी। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। साथ ही निगम चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था।

मुख्यधारा की टीमों के साथ मैच की संभावनाएं तलाशेगा आइडीसीए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर

निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद (आइडीसीए) की टीम का मुख्यधारा की टीमों के साथ एक मैच प्रायोजित करने की संभावनाएं तलाश रहा है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोग ने यहां भारतीय दिव्यांग टीम को सम्मानित किया। टीम का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग टीम के खिलाड़ियों द्वारा दिखाई गई प्रतिरोध शक्ति और दृढ़ता को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि टीम ने दिव्यांग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टी-20 चैंपियंस ट्राफी जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग आईडीसीए की टीम का मुख्यधारा की टीमों के साथ एक मैच प्रायोजित करने की संभावनाएं तलाशेगा। आयोग ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर, पद्मश्री से सम्मानित नीरू कुमार द्वारा विविधता और समावेशन' विषय पर अपने अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया।

KAMDHENU GROUP

KAMDHENU LIMITED

CIN:L27101HR1994PLC092205
Regd. Office: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002
Ph.: 91-124-4604500 Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com
Website: www.kamdhenulimited.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON 9TH DECEMBER, 2022 THROUGH VIDEO CONFERENCE /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AT 11.00 A.M (IST).

We draw attention of all the Shareholders of Kamdhenu Limited **('The Company')** towards the Notice dated November 11, 2022 **('Notice of EGM')** issued for convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on Friday, 9th December, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM). The Notice of the EGM has been dispatched to the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder and relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India.

This corrigendum is being issued to make amendments/provide additional details as mentioned herein, pursuant to the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018:

With respect to Item No. 3 of the Notice of EGM and Explanatory Statement, which pertains for seeking an approval of the shareholders for Issuance of Warrants Convertible into Equity Shares to person(s) belonging to Promoter Category and to person(s) belonging to Non-Promoter Category on Preferential basis, in this regard we wish to communicate that;

1) Warrants Issue Price/Issue Price wherever appearing in the Item No. 3 of the Notice of EGM and Explanatory Statement be read as **'Rs. 141/- (Rupees One Hundred and Forty One Only) (including premium of Rs. 131/- each) or such other higher price as may be ascertained by the Statutory or Regulatory Authorities', in place of 'Rs. 141/- (Rupees One Hundred and Forty One Only) (including premium of Rs. 131/- each)'** which being the price higher than the Floor price determined in accordance with the relevant provisions of Chapter V of SEBI ICDR Regulations, 2018.

2) In Explanatory Statement to the Item No. 3, at point no. 2 (vi), Amount which the Company intends to raise by way of such convertible warrants be read as **'Rs. 70.50 Crore (Rupees Seventy Crore and Fifty Lakhs Only) or such other higher amount as the case may be' in place of 'Rs. 70.50 Crore (Rupees Seventy Crore and Fifty Lakhs Only).**

This Corrigendum to the Notice of the EGM shall form an integral part of the Notice of the EGM which has already been circulated to the shareholders of the Company on 16th November, 2022 and on and from the date hereof, the Notice of the EGM shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This Corrigendum is also being published in the all Edition of Financial Express (English) and Delhi NCR Edition of Jansatta (Hindi) and will also be available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company (www.kamdhenulimited.com). All other contents of the Notice of the EGM and Explanatory Statement thereof, save and except as modified or supplemented by this Corrigendum, shall remain unchanged. Accordingly request you all to cast your votes electronically during e-voting period commencing from Tuesday, 6th December, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and ending on Thursday, 8th December, 2022 at 05:00 P.M. (IST) or through Insta-poll during the EGM i.e. on 9th December, 2022, as the case may be.

By the Order of the Board of Directors of
Kamdhenu Limited
Sd/-
Khem Chand
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 02.12.2022
Place : Gurugram

SpiceJet

स्पाइसजेट लिमिटेड

CIN: L51909DL1984PLC288239
पंजीकृत कार्यालय : इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1डी, नई दिल्ली-110 037, वेबसाइट : www.spicejet.com; ई-मेल : investors@spicejet.com; दूरभाष : +91 124 3913939; **फैक्स :** +91 124 3913844

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. स्पाइसजेट लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंस तथा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''वीसी'') के माध्यम से सोमवार, 26 दिसम्बर, 2022 को 11.30 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तथा सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से ''ई-एजीएम परिपत्र'' सन्दर्भित) के सन्दर्भ में कम्पनी की एजीएम वीसी सुविधा के माध्यम से संचालित की जायेगी जिसमें किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सदस्य वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं या https://emeetings.kfintech.com पर एजीएम का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।
2. ई-एजीएम परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ तथा वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण ऐसे सदस्यों को कर दिया गया है जिनके इमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.spicejet.com के निवेशक खंड में तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 2 दिसम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है।
3. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा के लिए केफिन टेक की सेवाएं ग्रहण की हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सुविधा पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के सन्दर्भ में तथा वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के अंग के रूप में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी की वेबसाइट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अनुरक्षित डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने के लिए सक्षम किया गया है। ई-वोटिंग और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

   सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) ई-वोटिंग की अवधि बृहस्पतिवार, 22 दिसंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 25 दिसंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (बी) कट-ऑफ तिथि यानी 19 दिसंबर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, (सी) सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे; (डी) कोई सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा; और (ई) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तारीख यानी 19 दिसंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह केफिनटेक को ईमेल आईडी evoting.kfintech.com पर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध करने के लिए लिख सकता है। हालांकि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए केफिनटेक के साथ पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders तथा e-voting User Manual for shareholders का सन्दर्भ ले सकते हैं, या सुश्री सी शोभा आनंद, उप महाप्रबंधक, केफिनटेक से ई-मेल हेल्पडेस्क evoting.kfintech.com के माध्यम से या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 पर संपर्क करें।
4. जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करें और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करने के लिए केफिनटेक के ई-मेल पते einward.ris@kfintech.com पर अपना ईमेल पता अपडेट करें।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार, कंपनी के 38वें वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 20 दिसंबर, 2022 से 26 दिसंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कृते स्पाइसजेट लिमिटेड
ह./-
चंदन सैंड
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विधिक) और कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 2 दिसंबर, 2022

गायक जुबिन नौटियाल सीढ़ियों से गिर कर घायल

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

गायक जुबिन नौटियाल को सीढ़ियों से गिरने के बाद यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके प्रतिनिधि ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक बयान में, प्रतिनिधि ने कहा कि गिरने के बाद नौटियाल (33) की ''कोहनी टूट गई, उनकी पसली और उनके सिर में चोट लगी है।' प्रतिनिधि ने कहा कि नौटियाल के दाहिने हाथ का आपरेशन होगा और उन्हें सलाह दी गई है कि वे ज्यादा मेहनत का काम नहीं करें।

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड

सीआईएन: U99999DL2001PLC110396
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नबर. 1; 210 -अटलांटिक प्लाजा, दूसरी मंजिल, स्थानीय शॉपिंग सेटर, मयूर विहार फेज-I, दिल्ली- 110091, टेलीफोन : +91-120-2328011-20 फैक्स: +91-120-2328010
ईमेल आईडी : cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट : www.indiaexpomart.com

13 वीं असामान्य साधारण अधिवेशन (ईजीएम) और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी की **13 वीं असामान्य साधारण अधिवेशन (ईजीएम) दिनांक 26 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को शाम 04:00 बजे तपस, लॉबी स्तर, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, नई दिल्ली -110057** में आयोजित की जा रही है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है।

ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत है। इसकी भौतिक प्रतियां स्वीकृत रूप में अन्य सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं।

यह कंपनी की वेबसाइट **www.indiaexpomart.com** पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, ईजीएम की नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज ईजीएम की तारीख तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़ कर सभी कार्य दिवसों में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ईजीएम की सूचना प्रेषण का काम, 2 दिसंबर 2022 को पूरा हो चुका है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के नियमों के साथ पठित, यथा संशोधित, कंपनी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने की कृपा कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं लीं है। कृपया ई-वोटिंग पर निर्देशों के संबंध में ईजीएम की सूचना देखें।

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 23 दिसंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और रविवार, 25 दिसंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त समय और तिथि के बाद नहीं दी जाएगी।

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 19 दिसंबर, 2022 है।
- जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 19 दिसंबर 2022, पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, बैठक में उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार है।
- कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का सदस्य बना हो तथा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया हो, वो डी पी आई डी / क्लाइंट आई डी नंबर का उल्लेख कर **evoting@nsdl.co.in** या **cs@indiaexpocentre.com** पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- कंपनी बैठक के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से उन सदस्यों को मतदान की सुविधा प्रदान करेगी जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है।
- बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनर्मतदान के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध 'सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न' (एफ ए क्यू) और 'ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न' की सहायता ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800-2244-30 पर संपर्क कर सकते हैं; ईमेल: **evoting@nsdl.co.in** जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगी।

मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित के रूप में घोषित किए जाएंगे और उपरोक्त कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
अनुपम शर्मा
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

3 दिसंबर, 2022
दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक pnb **punjab national bank**
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मंडल सस्त्रा केन्द्र,
प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	(क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामित्व का नाम	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	पीएनबी डीएलएफ फेज ।।। गुरुग्राम श्री अमरजोत सिंह बाथ पुत्र स्वर्गीय खुशवंत सिंह, मकान नं. 504, 5वीं मंजिल, टावर-3, सुशांत एस्टेट, सेक्टर-52, गुरुग्राम-122003 (हरि.)	21.06.2021 रु. 15,17,798.64 दिनांक 20.05.2021 तक और दिनांक 21.05.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि 22.10.2021 सांकेतिक	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 504, 5वां तल, टावर-3, सुशांत ईस्टेट, सेक्टर-52, गुरुग्राम (हरि.) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अमरजोत सिंह बाथ के नाम पर है। (सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	रु. 105.00 लाख रु. 10.50 लाख रु. 50,000/-	28.12.2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
2	पीएनबीः तिगांव, फरीदाबाद मैसर्स के.वी.स्टील ट्रेडर्स, (प्रोप. श्री ललित शर्मा), बी.एड कॉलेज के पास, तिगांव, फरीदाबाद, (हरियाणा) गारंटरः श्री दीप चंद शर्मा पुत्र श्री मणि राम शर्मा, खेवत नं. 705 खाता नं. 1673, खसरा नं. 98/7/2, थाना वाली गली, गवर्नमैंट कॉलेज रोड/अलॉन्ना नाला, तिगांव, फरीदाबाद (हरियाणा)	22.07.2016 रु. 21,98,392.85 दिनांक 30.06.2016 तक और दिनांक 01.07.2016 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि 16.03.2017 भौतिक	मकान क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, खेवत नं. 705 का भाग, खतौनी नं. 98/7/2, पुलिस स्टेशन तिगाँव के पास, मौज़ा तिगाँव, तहसील तिगाँव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति दीप चंद शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री मनी राम शर्मा के नाम पर है। (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	रु. 18.93 लाख रु. 1.89 लाख रु. 50,000/-	28.12.2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com & www.pnbindia.in** देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 02.12.2022, स्थान : गुरुग्राम

प्रतिभूति लेनदार मो. 8527977711,
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com